

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-सा.-30122025-268895
SG-DL-W-30122025-268895

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] दिल्ली, दिसम्बर 19—दिसम्बर 25, 2025, बृहस्पतिवार/अग्रहायण 28—पौष 4, 1947 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 389
No. 16] DELHI, DECEMBER 19—DECEMBER 25, 2025, THURSDAY/AGRAHAYANA 28—PAUSHA 4, 1947 [N.C.T.D. No. 389

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

विषय: शीतकालीन अवकाश 2025 के दौरान अत्यावश्यक मामलों के मौखिक आवेदन व सुनवाई का प्रबंध

1. सं. 118/स्था./ई-1/डी.एच.सी.— एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित माननीय न्यायाधीशगण को आगामी शीतकालीन अवकाश 2025 के दौरान अत्यावश्यक मामलों, यदि कोई हों, की सुनवाई हेतु सहर्ष मनोनीत करते हैं:-

क्र.सं.	माननीय न्यायाधीशगण के नाम	अवधि	
		से	तक
1.	माननीय न्यायाधीश श्री विकास महाजन माननीय न्यायाधीश श्री विनोद कुमार	25.12.2025	28.12.2025
2.	माननीय न्यायाधीश श्री सचिन दत्ता माननीय न्यायाधीश श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर	29.12.2025	30.12.2025

3.	माननीय न्यायाधीश श्री सचिन दत्ता माननीय न्यायाधीश श्री अनीश दयाल	31.12.2025	01.01.2026
4.	माननीय न्यायाधीश सुश्री शैल जैन माननीय न्यायाधीश सुश्री मधु जैन	02.01.2026	04.01.2026

2. इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य न्यायाधीश शीतकालीन अवकाश के दौरान अनुसरण किये जाने हेतु निम्नलिखित आदेश सहर्ष पारित करते हैं: -

- माननीय न्यायाधीशगण अत्यावश्यक सिविल तथा दांडिक मामलों तथा ऐसे अन्य मामलों, जो उनके समक्ष उपरोक्त दी हुई तिथियों की अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत किये जाएँ, की सुनवाई हेतु खंडपीठों में एवं अकेले भी बैठेंगे।
- सामान्यतः माननीय न्यायाधीशगण सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार तथा ऐसे अन्य दिवसों पर जब वे उपयुक्त समझें प्रातः 10:30 बजे न्यायालय में बैठेंगे। यदि किसी दिन के लिए निर्धारित मामले उसी दिन समाप्त नहीं होते हैं तो सुनवाई अगले उत्तरवर्ती दिन भी जारी रह सकती है।
- यदि किसी आकस्मिक कारण से कोई माननीय न्यायाधीश किसी दिन उपलब्ध नहीं होते हैं तो दूसरे माननीय न्यायाधीश, इस शर्त के अध्वधीन कि माननीय न्यायाधीश खंडपीठ के मामलों को खारिज नहीं करेंगे, अकेले बैठेंगे।

आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

**HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd December, 2025

SUBJECT: ARRANGEMENT OF MENTIONING AND HEARING OF URGENT MATTERS DURING WINTER VACATION - 2025

1. **No. 118/Estt./EI-1/DHC.**—It is hereby notified that Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate the following Hon'ble Judges for hearing urgent matters, if any, during ensuing Winter Vacation 2025:-

Sl. No.	NAME OF THE HON'BLE JUDGES	PERIOD	
		FROM	TO
1.	Hon'ble Mr. Justice Vikas Mahajan Hon'ble Mr. Justice Vinod Kumar	25.12.2025	28.12.2025
2.	Hon'ble Mr. Justice Sachin Datta Hon'ble Mr. Justice Harish Vaidyanathan Shankar	29.12.2025	30.12.2025
3.	Hon'ble Mr. Justice Sachin Datta Hon'ble Mr. Justice Anish Dayal	31.12.2025	01.01.2026
4.	Hon'ble Ms. Justice Shail Jain Hon'ble Ms. Justice Madhu Jain	02.01.2026	04.01.2026

2. Hon'ble the Chief Justice is further pleased to pass the following orders for being followed during the course of winter vacation:-

- The Hon'ble Judges will sit in Division Benches and also singly to hear urgent Civil and Criminal matters and such other matters as may be placed before them as per the schedule of dates given above.
- Ordinarily the Hon'ble Judges will sit in Court on Monday, Wednesday and Friday and such other days as they may think fit at 10.30 A.M. The sitting may continue for the next succeeding day if matters fixed for any day are not finished on that day.
- If one of the Hon'ble Judges is not available on any day for any unforeseen reason, the other Hon'ble Judge may sit alone subject to the condition that the Hon'ble Judge shall not dismiss the Division Bench matters.

By Order,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General